



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238572
CG-DL-E-02092022-238572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3960]
No. 3960]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2022

का.आ. 4136(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनिट्राइल - ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल - ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- एक्रिलोनिट्राइल - ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 12 मार्च, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-2]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश का.आ. संख्या 3927 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्या 88 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2022 और का.आ. संख्या 1069 (अ), तारीख 10 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2022

S.O. 4136(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Acrylonitrile- Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Acrylonitrile- Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Third Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Acrylonitrile- Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2023.”

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 2]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 3927(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 88(E), dated the 7th January, 2022 and 1069(E), dated the 10th March, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2022

का.आ. 4137(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 12 मार्च, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-2]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश का.आ. संख्या 3928 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. संख्या 1070 (अ), तारीख 10 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।